

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिला-मजिस्ट्रेट/जनपदीय समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

सं0:-प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./393/2022/5412-75 लखनऊ, दिनांक: 29 नवम्बर 2022
विषय:- सी0टी0 व एम0आर0आई0 मशीनों के साथ-साथ अन्य ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों पर किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत ही होंगे कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान वर्णित है:-

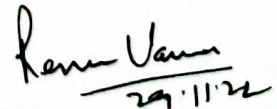
Section 18 Registration of Genetic Counselling Centers, Genetic Laboratories or Genetic Clinics (1); No person shall open any Genetic Counselling Center, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, including clinic, laboratory or center having ultrasound or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking determination of sex of foetus and sex selection, or render services to any of them, after the commencement of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 unless such center, laboratory or clinic is duly registered under the Act.

(2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में सी0टी0 व एम0आर0आई0 मशीनों के साथ-साथ अन्य ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों पर ही सुनिश्चित करवाया जाये।

(3) यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इकाई पूर्व से अल्ट्रासाउण्ड/इमेजिंग केन्द्र के रूप में अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, तो ऐसी दशा में सी0टी0/एम0आर0आई0/अन्य कोई उपकरण (जो लिंग चयन में सक्षम है), के विवरण की प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण पत्र पर की जानी है, इस हेतु कोई पृथक से पंजीयन प्रमाण निर्गत नहीं किया जाना है और न ही कोई शुल्क लिया जाना है।

(4) यदि कोई इकाई पूर्व से पंजीकृत नहीं है परन्तु सी0टी0/एम0आर0आई0/अन्य कोई प्रौद्योगिकी, जिसके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन करना चाहते हैं, की दशा में ऐसे उपकरणों की इकाई पर स्थापना के पूर्व इकाई का पंजीयन इमेजिंग केन्द्र के रूप में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य है व ऐसे केन्द्रों द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 नियमावली 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत मासिक रिपोर्ट भी समुचित प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी जानी है।

भवदीया,



(डा0 रेनू श्रीवास्तव वर्मा)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ०सं०:-प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./393/2022/

उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, पी०एन०डी०टी०, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (पी०सी०पी०एन०डी०टी०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश,
जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003

सेवा में,

समस्त जिला-मजिस्ट्रेट/जनपदीय समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश।

सं0:-प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./393/2022/

लखनऊ, दिनांक: 24 नवम्बर 2022

विषय:- सी0टी0 व एम0आर0आई0 मशीनों के साथ-साथ अन्य ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों पर किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत ही होंगे कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान वर्णित है:-

Section 18 Registration of Genetic Counselling Centers, Genetic Laboratories or Genetic Clinics (1); No person shall open any Genetic Counselling Center, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, including clinic, laboratory or center having ultrasound or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking determination of sex of foetus and sex selection, or render services to any of them, after the commencement of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 unless such center, laboratory or clinic is duly registered under the Act.

(2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में सी0टी0 व एम0आर0आई0 मशीनों के साथ-साथ अन्य ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों पर ही सुनिश्चित करवाया जाये।

(3) यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इकाई पूर्व से अल्ट्रासाउण्ड/इमेजिंग केन्द्र के रूप में अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, तो ऐसी दशा में सी0टी0/एम0आर0आई0/अन्य कोई उपकरण (जो लिंग चयन में सक्षम है), के विवरण की प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण पत्र पर की जानी है, इस हेतु कोई पृथक से पंजीयन प्रमाण निर्गत नहीं किया जाना है और न ही कोई शुल्क लिया जाना है।

(4) यदि कोई इकाई पूर्व से पंजीकृत नहीं है परन्तु सी0टी0/एम0आर0आई0/अन्य कोई प्रौद्योगिकी, जिसके माध्यम से लिंग चयन सम्भव है, का संचालन करना चाहते हैं, की दशा में ऐसे उपकरणों की इकाई पर स्थापना के पूर्व इकाई का पंजीयन इमेजिंग केन्द्र के रूप में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य है व ऐसे केन्द्रों द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 नियमावली 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत मासिक रिपोर्ट भी समुचित प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी जानी है।

भवदीया,

(डा0 रेनू श्रीवास्तव वर्मा)
अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी,
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ०सं०:-प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./393/2022/5488-189 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, पी०एन०डी०टी०, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश।


संयुक्त निदेशक (पी०सी०पी०एन०डी०टी०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।